

मांग संख्या 13
मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 1 से 5

अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला) के अंतर्गत वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय पर राशि ₹ 237.35 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 2,37,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 से 7

अधीक्षण (संभागीय स्तर का अमला) के अंतर्गत वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते पर राशि ₹ 1.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8 से 9

संचालनालय (मुख्यालय स्तर का अमला) के अंतर्गत वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते पर राशि ₹ 3.90 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 3,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10

खाद गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना कार्यालय के अंतर्गत मकान किराया भत्ते पर राशि ₹ 1.25 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11

पौध संरक्षण योजना कार्यालय के अंतर्गत मकान किराया भत्ते पर राशि ₹ 0.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 12 से 13

वाणिज्यिक फसलों की योजना कार्यालय के अंतर्गत मकान किराया एवं अन्य भत्ते पर राशि ₹ 1.35 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 14

कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के अंतर्गत मकान किराया भत्ते पर राशि ₹ 0.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 15

राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना के अंतर्गत मंहगाई भत्ते पर राशि ₹ 6.22 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 6,22,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 16

सहायक यंत्री कार्यालय के अंतर्गत मंहगाई भत्ते पर राशि ₹ 1.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 1,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 17 से 18

कृषि यंत्री कार्यालय के अंतर्गत मंहगाई भत्ते एवं डिक्री धन पर राशि ₹ 10.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 10,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 19 से 20

नए उद्यानों एवं पौध शालाओं की स्थापना के अंतर्गत वेतन एवं अन्य भत्ते पर राशि ₹ 22.75 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 22,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 21 से 22

रायपुर में महिलाओं के लिये फल व सब्जी संरक्षण के प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के अंतर्गत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते पर राशि ₹ 0.98 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 23 से 26

संचालनालय उद्यानिकी के अंतर्गत वेतन एवं अन्य भत्ते पर राशि ₹ 7.12 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 7,12,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 27

उद्यान विकास योजना के अंतर्गत मंहगाई भत्ते पर राशि ₹ 45.71 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 45,71,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2402

मद क्रमांक 28 से 29

विस्तृत मृदा सर्वेक्षण कार्यालय के अंतर्गत मकान किराया एवं नगर क्षतिपूर्ति भत्ता पर राशि ₹ 2.60 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 2,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 30 से 31

भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधन की योजना के अंतर्गत मकान किराया एवं अन्य आकस्मिक व्यय पर राशि ₹ 3.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 3,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।